

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, मुख्यालय गंगपुर सिटी जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी- सुदर्शन सिंह तोमर

क0सं0	अपील सं0	GCMS NO.	दर्ज दिनांक	उनवान	निर्णय दिनांक	बुल पृष्ठ
1	17/26	2026/24	05/03/2026	महाराज सिंह बनाम सरकार	19.03.2026	1 लगायत 2

1. महाराज सिंह पुत्र नवल जाति मीना निवासी मैडी तहसील वजीरपुर।
बनाम

—अपीलार्थी

1. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील वजीरपुर।

—रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित:-


1. अपीलार्थी पक्ष की ओर से :- विद्वान अधिवक्ता श्री सतीश कुमार शर्मा
2. रेस्पोडेन्ट पक्ष की ओर से :- परोकार सरकार

निर्णय

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार वजीरपुर द्वारा मिसल संख्या 275/2026 में पारित निर्णय दिनांक 19.01.2026 के विरुद्ध प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम मैडी के आराजी ख0नं0 1536 रकबा 0.40 है0 किस्म गै0मु0चरागाह पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा करने का कर्ता मानकर भूमि से बेदखल किये जाने, अर्थदण्ड स्वरूप शास्ति आरोपित करने एवं सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा अपीलाधीन आदेश संबंधी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विरुद्ध एवं न्यायिक सिद्धान्तों के विपरित होने के कारण निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त के विरुद्ध कायम किये गये प्रकरण में जारी किये गये नोटिस पर अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थिति के उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्त से कहा गया कि आपको जो नोटिस दिया गया है उसका जबाब आपको देना है परन्तु अपीलान्त जब जबाब देने के लिये न्यायालय में उपस्थित हुआ तो उससे पूर्व ही अपीलान्त के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया गया जो कि विधि विरुद्ध एवं न्यायिक सिद्धान्तों के विपरित होने से निरस्त होने योग्य है। अपीलान्त द्वारा किसी चरागाह भूमि पर कब्जा नहीं किया गया है। पटवारी हल्का द्वारा गलत व मिथ्या रिपोर्ट अपीलान्त के विरुद्ध पेश की है क्योंकि निर्णय में भूमि खं0नं0 1536 के बाबत केवल सरसरी तौर पर रकबा 0.40 है0 अंकित करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपना निर्णय


अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगपुर सिटी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापूर सिटी
मु०सं० 17/2026 महाराज सिंह बनाम सरकार ।

पारित किया गया है। जिससे निर्णय स्वयं ही अस्पष्ट व विधि विरुद्ध पारित किया गया है तथा निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त को पश्चातवर्ती अतिक्रमी बताते हुए निर्णय पारित किया है जबकि प्रार्थी कभी पश्चातवर्ती अतिक्रमी नहीं रहा न कभी प्रार्थी ने किसी सरकारी भूमि पर कब्जा नहीं किया। इसलिये प्रार्थी का पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का द्वारा बनायी गयी झूठी रिपोर्ट व पटवारी हल्का के टाईप शुदा एकपक्षीय बयानों के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निरस्त होने योग्य है, साथ ही विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने उक्त अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया ।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए परोकार सरकार ने बहस में तर्क दिया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर प्रदान करने तथा अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी का पश्चातवर्ती अतिक्रमण पाये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता व अवैधानिकता नहीं है, साथ ही परोकार सरकार ने अपील अपीलार्थी खारिज करने हेतु निवेदन किया है।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन कर बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अदालत मातहत के समक्ष पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध अतीचार की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थी को सुनवाई सबूत हेतु नोटिस जारी किया गया । जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। जहां तक अपीलार्थी के पूर्ववर्ती अतिक्रमी होने के प्रश्न है तो पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट एवं बयान में पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना अंकित किया हुआ है, साथ ही अपील अपीलार्थी ने अपनी अपील तथा दौराने बहस कथन किया है कि अपीलार्थी का किसी भी सरकारी भूमि पर कोई कब्जा नहीं है।

अतएव: परिणामस्वरूप अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार वजीरपुर को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित करना उचित समझते हैं कि तहसीलदार वजीरपुर आदिनांक से दिनांक 31.08.2026 तक प्रत्येक तीन माह में एवं संबंधित भू-अभिलेख निरीक्षक प्रत्येक माह में स्वयं कब्जा जांच करेगा। यदि अपीलान्त कब्जा छोड़ दे तो निर्णय दिनांक 19.01.2026 खारिज कर सजा माफ कर दी जावेगी तथा यदि अपीलान्त का कब्जा काशत पाया जाता है तो अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 19.01.2026 यथावत रखा जावेगा तथा वर्तमान में गिरफ्तारी वारन्ट जारी किया हुआ हो तो उक्त वारन्ट को वापिस तलब कर लिया जावे। पत्रावली फ़ैसले में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय प्रति के भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 19.03.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति. जिला कलेक्टर,
गंगापूर सिटी
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापूर सिटी